

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 1627/2024

In

S.B. Criminal Appeal No.2128/2021

Laluram S/o Gyarsilal, R/o Raigar Mohlla Bassi Police Station
Bassi District Jaipur (At Present Confined In Central Jail Jaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री वी.के.शर्मा
For Respondent(s)	:	श्री श्रीराम धाकड़, लोक अभियोजक
		श्री रुद्राक्ष शर्मा

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

26-02-2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) क्रम-1, जयपुर महानगर, प्रथम द्वारा सेशन प्रकरण संख्या-65/2020, सरकार बनाम लल्लूराम में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 29.11.2021 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी दिनांक 28.02.2020 से लगातार अभिरक्षा में है, विचारण

न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2021 को निर्णय पारित किया गया है । अपीलार्थी लगभग 6 वर्ष 7 माह से अधिक सजा भुगत चुका है। उनका यह भी निवेदन है कि अपील में उनके द्वारा जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर अपीलार्थी दोषमुक्त होने योग्य है। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व योग्य अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका निवेदन है कि अपराध की प्रकृति गंभीर है अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रूपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **25.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **लल्लूराम पुत्र ग्यारसी लाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J